


आदेश

संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-4480, दिनांक-11.09.

2015 के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2015 के निमित्त समाहरणालय पूर्णियाँ एवं उनसे सम्बद्ध अन्य सभी कार्यालय सभी कार्य दिवसों को (राजपत्रित एवं रविवारीय अवकाश सहित) सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगा।


इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह- जिला पदाधिकारी,  
पूर्णियाँ

ज्ञापांक...1162.../जि0नि0, दिनांक...19/09/2015

- प्रतिलिपि :- समाहरणालय स्थित सभी कार्यालयों के प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/ सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी(पूर्णियाँ जिला) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ।  
प्रतिलिपि :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह- जिला पदाधिकारी,  
पूर्णियाँ